

भारत-पाकिस्तान जलविद्युत परियोजना को लेकर मतभेद

प्रलिमिस के लिये:

मध्यस्थता न्यायालय, [संधि जल संधि](#), स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA), [विश्व बैंक](#)

मेन्स के लिये:

संधि जल संधि और कार्यान्वयन संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

भारत जम्मू-कश्मीर में कशिनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है, हाल ही में हेग(Hague) स्थिति स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration- PCA) ने फैसला किया है कि उसके पास इस परियोजना से संबंधित पाकिस्तान की आपत्तियों/शक्तियों सुनने का अधिकार है।

- हालाँकि, "मध्यस्थता न्यायालय" के संविधान को [संधि जल संधि](#)(Indus Waters Treaty- IWT) के प्रावधानों के खिलाफ मानते हुए भारत इसे अस्वीकार करता है।

The Indus Waters Treaty (IWT)

■ The distribution of waters of the Indus and its tributaries between India and Pakistan is governed by the Indus Water Treaty (IWT).	■ Was signed on Sept 19, 1960, between India, Pakistan and a representative of World Bank after nine years of negotiations.	■ Partition of India cut across the Indus river basin, which has the Indus river, plus five of its main tributaries.
---	---	--

Western rivers
Chenab, Jhelum, Indus
India's rights over these rivers:
Limited – can set up certain irrigation, run-of-the-river power plants, very limited storage, domestic and non-consumptive use, all subject to conditions

Eastern rivers
Sutlej, Beas, Ravi
India's rights over these rivers: All exclusive rights lie with India.

Indus Waters Commission a success story

- Once every five years, conducts a general inspection of all rivers in parts. Total inspection tours so far: Over 100
- Regularly meets once a year. Total meetings thus far, including those for taking up Pak objections: Over 100

संधि जल संधि:

■ परचियः

- भारत और पाकसितान ने नौ वर्षों की बातचीत के बाद सत्रिंबर 1960 में IWT (जल साझाकरण संधि) पर हस्ताक्षर किया, जिसमें वशिव बैंक भी इस संधिका हस्ताक्षरकरता था।
- यह संधि सधि नदी और उसकी पाँच सहायक नदियों सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चनिब के जल के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग तथा सूचना के आदान-प्रदान के लिये एक तंत्र निर्धारित करती है।
- इस संधिका उद्देश्य भारत और पाकसितान के बीच सीमा पार जल संसाधनों के सहयोग तथा शांतपूर्ण प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

■ नदियों का आवंटनः

- इस संधिके तहत, तीन पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास और सतलज) को अप्रतिबिधित उपयोग के लिये भारत को आवंटित किया गया है।
- पाकसितान के अप्रतिबिधित उपयोग के लिये तीन पश्चिमी नदियाँ (सधि, झेलम और चनिब) आवंटित की गई हैं।
- भारत के पास घरेलू, गैर-उपभोग्य और कृषिउद्देश्यों के लिये पश्चिमी नदियों के सीमित उपयोग की अनुमति है।

मुख्य प्रावधानः

■ परियोजना निर्माणः

- इस संधिके तहत कुछ शर्तों के साथ भारत को पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रविर जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति है।

■ विवाद निपटानः

○ स्थायी सधि आयोग के माध्यम से संवाद (Permanent Indus Commission- PIC):

- इस आयोग में प्रत्येक देश का एक आयुक्त होता है।
- इसके सदस्य देश एक-दूसरे को सधि नदी पर नियोजित परियोजनाओं के बारे में सूचित करते हैं।
- PIC आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य मतभेदों को दूर करना और तनाव को बढ़ाने से रोकना है।

○ तटस्थता कारण विशेषज्ञः

- यदि PIC कसी समस्या को हल करने में वफिल रहता है, तो इस समस्या को अगले स्तर पर भेज दिया जाता है।
- वशिव बैंक एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करता है।
- यह विशेषज्ञ मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करता है।

○ मध्यस्थता न्यायालय (CoA):

- यदि उस मामले का निपटान तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा भी नहीं हो पाता है फिर मामले को मध्यस्थता न्यायालय में भेज दिया जाता है।
- CoA मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का समाधान करती है।
- सधि जल संधियों संपर्क है कि कसी दिये गए विवाद के लिये तटस्थ विशेषज्ञ और CoA में से एक समय में केवल एक का ही उपयोग किया जा सकता है।

भारत और पाकसितान के बीच जल-विद्युत परियोजना विवादः

■ जल-विद्युत परियोजनाएः

- इस मामले में भारत और पाकसितान के बीच कशिनगंगा जल-विद्युत परियोजना (झेलम नदी की सहायक नदी कशिनगंगा नदी पर) और जम्मू-कश्मीर में रत्नें जल-विद्युत परियोजना (चनिब नदी पर) को लेकर विवाद शामिल है।
 - दोनों देश इस बात पर असहमत हैं कि कशिनगंगा इन दोनों जल-विद्युत संयंत्रों की तकनीकी डिजाइन विशेषताएँ IWT का उल्लंघन करती हैं।

■ पाकसितान की आपत्तियाँ:

- पाकसितान IWT के उल्लंघन में कम जल प्रवाह, प्रयावरणीय प्रभाव तथा विभिन्न संधिवियाख्याओं के बारे में चतिआँ का हवाला देते हुए जल-विद्युत परियोजनाओं पर आपत्ति जिताता है।
- वर्ष 2016 में पाकसितान ने एक तटस्थ विशेषज्ञ का अपना अनुरोध वापस ले लिया साथ ही इसके स्थान पर एक CoA का प्रस्ताव रखा।
- भारत ने इस प्रक्रिया में इसके महत्व पर ज़ोर देते हुए वर्ष 2016 में एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का अनुरोध किया, जिसे पाकसितान ने नजरअंदाज करने की कोशशि की।

■ वशिव बैंक का हस्तक्षेपः

- वशिव बैंक ने भारत और पाकसितान के अलग-अलग अनुरोधों के कारण प्रक्रिया पर रोक लगा दी, जिसमें PIC के माध्यम से समाधान का आग्रह किया गया था।
- पाकसितान ने PIC बैठकों के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करने से अस्वीकृत कर दिया, जिसके कारण वशिव बैंक को तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय पर कार्रवाई प्रारंभ करनी पड़ी।
 - यह संधिविशेषज्ञ को यह नियन्त्रित करने का अधिकार नहीं देती है किंतु प्रक्रिया को दूसरी प्रक्रिया से अधिक प्रारंभिकता दी जानी चाहिये या नहीं।
 - वशिव बैंक ने CoA और तटस्थ विशेषज्ञ दोनों के संबंध में अपने प्रक्रियात्मक दायतिवों को पूरा करने की मांग की।

■ भारत का विरोधः

- भारत, सधि-जल संधिप्रावधानों के उल्लंघन का हवाला देते हुए CoA के संवधान का विरोध करता है।

- भारत ने CoA के अधिकार क्षेत्र और क्षमता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसका गठन संधि के अनुसार नहीं किया गया था।
- भारत ने एकल विवाद समाधान प्रक्रिया की आवश्यकता पर बल देते हुए मध्यस्थों की नियुक्ति नहीं की है या न्यायालय की कार्यवाही में भाग नहीं लिया है।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का नियम:

- नियम:
 - PCA ने नियम दिया कि मध्यस्थता न्यायालय (CoA) के पास जम्मू-कश्मीर में भारत की जल-विद्युत परियोजनाओं के संबंध में पाकिस्तान की आपत्तियों पर विचार करने की क्षमता है।
 - यह सर्वसम्मत नियम पर आधारित था, जो दोनों पक्षों के लिये बाध्यकारी था साथ ही इसमें अपील की कोई संभावना भी नहीं थी।
 - PCA ने CoA की क्षमता पर भारत की आपत्तियों को अस्वीकृत कर दिया, जैसा कि विश्व बैंक के साथ उसके संचार माध्यम से उठाया गया था।
- भारत की प्रतिक्रिया:
 - भारत ने स्पष्ट किया कि वह PCA में पाकिस्तान द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही में शामिल नहीं होगा क्योंकि IWT के ढाँचे के अंतर्गत विवाद की जाँच पहले से ही एक तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है।
- नियम:
 - PCA का नियम जल-विद्युत परियोजनाओं को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे विवाद में जटिलता तथा अनश्चितता में वृद्धि करता है।
 - यह फैसला भारत की स्थितिको चुनौती देता है और IWT की प्रभावशीलता और विचारना पर सवाल उठाता है।
 - नियम के नियमित विवाद से परे हैं, जो संभावति रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों विशेष रूप से जल-बैंटवारे और सहयोग से संबंधितिको प्रभावति कर रहे हैं।

स्थायी मध्यस्थता न्यायालय

- इसकी स्थापना वर्ष 1899 में हुई थी और इसका मुख्यालय द है, नीदरलैंड में है।
- उद्देश्य: यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो विवाद समाधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवा करने और राज्यों के बीच मध्यस्थता तथा विवाद समाधान के अन्य रूपों को सुविधाजनक बनाने के लिये समर्पित है।
- इसकी तीन-भागीय संगठनात्मक संरचना है जिसमें शामिल हैं:
 - प्रशासनिक परिषद - अपनी नीतियों और बजट की देखरेख के लिये,
 - न्यायालय के सदसय - स्वतंत्र संभावति मध्यस्थों का एक पैनल, और
 - अंतर्राष्ट्रीय बृद्धों - इसका सचिवालय, जिसका नेतृत्व महासचिव करता है
- नियम: इसका एक वित्तीय सहायता कोष है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता या PCA द्वारा प्रस्तावित विवाद नियंत्रण के अन्य तरीकों में शामिल लागतों का हस्तिसा पूर्ण करने में सहायता करना है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विवित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न 1: संधि नदी प्रणाली के संदर्भ में, नियन्त्रिति चार नदियों में से तीन नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मलिती है जो सीधे संधि नदी में मलिती है। नियन्त्रिति में से वह नदी कौन सी है जो संधि नदी से मलिती है? (2021)

- (a) चेनाब
 (b) झेलम
 (c) रावी
 (d) सतलज

उत्तर : (d)

व्याख्या :

- झेलम पाकिस्तान में झांग के पास चनिब में मलिती है। रावी सराय संधि के नकिट चनिब में मलि जाती है।
- सतलज पाकिस्तान में चनिब से मलिती है। इस प्रकार, सतलज को रावी, चनिब और झेलम नदियों का सामूहिक जल नियंत्रण प्राप्त होता है। यह मधिनकोट के पास संधि में मलिती है।

अतः विकल्प (D) सही उत्तर है।

??????:

प्रश्न . सधु जल संधिका विवरण प्रस्तुत कीजये तथा बदलते द्विपक्षीय संबंधों के संदरभ में उसके पारस्थितिकि, आरथकि एवं राजनीतिकि नहितिरथों का परीक्षण कीजये ।(2016)

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pca-asserts-competence-in-india-pakistan-hydroelectric-projects-dispute>

